रेलवे पुनर्गठन का क्या मतलब है

लेखक - अविषेक जी दस्तीदार (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आधारभूत संरचना) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

03 जनवरी, 2020

"केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड और संवर्गों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि रेलवे को अब तक कैसे चलाया जा रहा था, इसके पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसने रेलवे में सिविल सेवकों को निराश क्यों किया है?"

हाल ही में मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली निकाय रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। अब बोर्ड में नौ में से केवल पाँच सदस्य ही होंगे।

मंत्रिमंडल ने रेलवे अधिकारियों के सभी केंद्रीय सेवा संवर्गों को एक ही भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS, आईआरएमएस) में विलय करने का भी निर्णय लिया। अब कोई भी योग्य अधिकारी किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, जिसमें बोर्ड सदस्य पद भी शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी आईआरएमएस से संबंधित होंगे।

इस नए पुनर्गठित रेलवे बोर्ड में एक सीआरबी / सीईओ होगा और कार्य आधारित चार सदस्य - सदस्य, ढाँचागत संरचना, रोलिंग स्टॉक सदस्य और ट्रैक्शन, सदस्य परिचालन और व्यापार विकास तथा वित्त सदस्य होंगे। रेलवे बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों को गैर-कार्यकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा । इनकी प्रमुख भूमिका परामर्श देने की होगी और ये रेलवे के दैनिक कामकाज से नहीं जुड़ेंगे। रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के तौर-तरीके वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा तय किए जाएंगे।

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की। यह सुधार भारतीय रेलवे की स्थिति को और बेहतर करने में मददगार साबित होगा।
- रेलवे के समूह 'ए' की मौजूदा आठ सेवाओं का भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) में एकीकरण किया गया है।
- रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कार्यात्मयक तर्ज पर होगा, जिसकी अध्यक्षता सीआरबी करेंगे। इसमें 4 सदस्यों के अलावा कुछ स्वतंत्र सदस्य भी होंगे।
- मौजूदा सेवा भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा (आईआरएमएस) का नाम बदलकर भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) रखा जाएगा।

गैर-कार्यकारी सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा तय की जाएगी। भारतीय रेल की सभी आठ सेवाओं को एक सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे विभिन्न विभागों में बंटे रहने से होने वाली समस्याएँ समाप्त होंगी और अधिकारी रेलवे के विकास के लिए परस्पर समन्वय के साथ कार्य करेंगे। कई सेवारत सिविल सेवकों ने इस कदम का विरोध किया है।

क्या है वर्तमान प्रणाली?

भारतीय रेलवे अधिकारियों के एक समूह द्वारा शासित है, जहाँ इंजीनियरों को भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और सिविल सेवकों को सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। सिविल सेवक भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS), भारतीय

रेलवे लेखा सेवा (IRAS) और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) में हैं। इंजीनियर पाँच तकनीकी सेवा संवर्गों में होते हैं अर्थात भारतीय रेलवे सेवा अभियंता (IRSE), भारतीय रेलवे सेवा मैकेनिकल इंजीनियर (IRSME), भारतीय रेलवे सेवा विद्युत अभियंता (IRSEE), भारतीय रेलवे सेवा सिग्नल इंजीनियर (IRSEE) और भारतीय रेलवे स्टोर्स सर्विस (IRSS)।

1950 के दशक तक रेलवे प्रणाली केवल तीन मुख्य पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों अर्थात ट्रैफिक, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल द्वारा चलाई जाती थी। अन्य पृष्ठभूमि के अधिकारी समय के साथ अलग-अलग सेवाओं के रूप में सामने आए।

सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी?

सरकार अंतर-विभागीय प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना चाहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अनुसार दशकों से विकास रुका पड़ा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैडरों के विलय से सेवाओं का एकीकरण होगा जो इस समय विभागीय जैसा दिखता है जिससे रेलवे जैसे बड़े संगठन के काम में दिक्कत होती है।

2015 में बिबेक देबरॉय समिति सहित कई समितियों ने नोट किया है कि ष्नौकरशाहीष प्रणाली में एक बड़ी समस्या है। अधिकांश समितियों ने कहा है कि किसी न किसी रूप में सेवाओं का विलय समाधान होगा। देबरॉय रिपोर्ट ने दो अलग-अलग सेवाओं को बनाने के लिए सभी सेवाओं के विलय की सिफारिश की थी: तकनीकी और लजिस्टिक्स। लेकिन यह नहीं बताया कि मौजूदा अधिकारियों का विलय कैसे किया जाए।

आईआरएमएस अधिकारियों को शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के तहत एक अलग परीक्षा 2021 में शुरू करने का प्रस्ताव है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय रेलवे द्वारा अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश द्वारा रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही, यात्रियों को उच्च मानकों वाली सुरक्षा, गति एवं सेवाएँ मुहैया कराई जाएंगी।
- रेलवे के अनुसार, विभिन्न चुनौतियों से निपटने और मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस कदम की आवश्यकता काफी समय से थी।
- रेलवे में सुधार के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों द्वारा सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की गई है। इन समितियों में प्रकाश टंडन समिति (1994), राकेश मोहन समिति (2001), सैम पित्रोदा समिति (2012) और बिबेक देबरॉय समिति (2015) शामिल हैं।
- रेलवे बोर्ड में अब एक चेयरमैन होगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे जिन्हें अलग-अलग जवाबदेही दी जाएगी।
- यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारियों को पुनर्गठित बोर्ड में शामिल किया जाए अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तक समान वेतन एवं रैंक में समायोजित किया जाए।

लाभ

- कैबिनेट का मानना है कि सेवाओं के एकीकरण से मौजूदा विभागवाद समाप्त हो जाएगा तथा रेलवे के सुव्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त निर्णय लेने में तेजी, संगठन के लिए एक सुसंगत विजन सृजित करना तथा तर्कसंगत निर्णय लेने को प्रोत्साहन दिया जाना भी इसके लाभ में शामिल हैं।

अधिकारियों ने इस कदम का विरोध क्यों किया है?

एक सामान्य वरिष्ठता सूची और पदों के एक सामान्य वर्ग में विशेष रूप से उच्च प्रबंधकीय रैंक में आठ सेवाओं - पांच तकनीकी और तीन गैर तकनीकी अधिकारियों में सभी 8,400 अधिकारियों को विलय करने के प्रस्ताव के साथ इस पर विवाद उठने लगा है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि सचिवों के एक समूह और फिर वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से मंत्रियों का एक समूह यह देखेगा कि यह कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है।

सरकार के फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि विलय अतार्किक है और स्थापित मानदंडों के खिलाफ है क्योंकि यह दो बुनियादी तौर पर भिन्न संस्थाओं के विलय का प्रस्ताव रखता है, जिसमें कई असमानताएँ हैं।

सबसे पहला, जहाँ एक तरफ सिविल सेवक सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के बाद कई पदों का अनुभव लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर आमतौर पर इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के बाद इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए बैठते हैं। विभिन्न अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि इंजीनियर 22-23 साल की उम्र के आसपास रेलवे में शामिल होते हैं, जबकि सिविल सेवक 26 साल की उम्र में (कुछ अपवादों को छोड़कर) शामिल होते हैं। सिविल सेवकों की तुलना में अधिक इंजीनियर हैं।

विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि विलय सेवा शर्तों के खिलाफ है, जहाँ सिविल सेवक इस पद का चयन आईएएस में सफल नहीं होने की हालत में एक अन्य विकल्प के रूप में करते हैं।

यह विषम कैसे प्रकट होता है?

रेलवे ने एक ऐसी प्रणाली को वैध कर दिया है, जिसमें कुछ वर्षों तक सेवा में रहने वाले एक अधिकारी को सामान्य-प्रबंधन उच्च पदों के लिए योग्य माना जाएगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है महाप्रबंधक, जो जोन और उत्पादन इकाइयों का प्रमुख है।

एक अधिकारी, जो अपने बैच और अनुभव में वरिष्ठ है, उसे भी जीएम के लिए पात्र होने के लिए कम से कम दो साल की सेवा की आवश्यकता होगी। 27 ऐसे पद हैं, जिनमें 17 जोनल रेलवे के प्रमुख शामिल हैं।

अब जब किसी भी सेवा के किसी भी अधिकारी को जीएम के लिए योग्य माना जाएगा, सिविल सेवक खुद को अब ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास आवश्यक सेवा कार्यकाल नहीं बचा है। आज 27 पदों में सिविल सेवक केवल दो पर काबिज हो सकते हैं। उनमें से एक यातायात सेवा है, जो न केवल योग्यता के कारण बल्कि इसलिए भी कि सदस्य (ट्रैफिक) पद ट्रैफिक सेवा अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा नहीं जा सकता है और सदस्य (ट्रैफिक) होने के लिए एक अधिकारी को जीएम के रूप में कार्य करना होगा।

जिन क्षेत्रों में रेलवे वास्तव में संचालित होता है, वहाँ जूनियर से मध्य स्तर के सिविल सेवकों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन उच्च प्रबंधन में उनका प्रतिनिधित्व लगभग 16-17 प्रतिशत है।

पुनर्गठन के साथ क्या बदलेगा?

अंतर-विभागीय वरिष्ठता ठीक करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया, जिसके कारण अतीत में अदालती मामलों का सामना करना पड़ा है समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब विभिन्न सेवाएं उन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं जो सभी के लिए खुले हैं जैसे कि मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), जीएम और बाद में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और यही कारण है कि इस कदम की बड़ी आलोचना हो रही है।

सिविल सेवक कह रहे हैं कि यदि सभी वर्तमान संवर्गों का विलय हो जाता है और यहाँ तक कि उच्चतर विभागीय पद सभी के लिए खुले रहते हैं, तो इंजीनियर बड़ी संख्या में होंगे और एक निश्चित आयु प्रोफाइल में इनकी संख्या अधिकांश पदों पर होगी।

दूसरा पहलू नौकरियों की उपयुक्तता है। कई लोग कहते हैं कि यह कदम "सरलीकृत" धारणा से निकलता है कि गैर-तकनीकी विशेषज्ञ तकनीकी कार्य नहीं कर सकते, टेक्नोक्रेट दोनों कर सकते हैं। प्रतिवाद यह है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया और उसके बाद के प्रशिक्षण के आधार पर सरकार में सिविल सेवकों के पास अकादमिक विशेषज्ञता से परे जाने वाले कौशल और अनुभव होते हैं।

आगे क्या होगा?

वर्तमान माँग एक के बजाय दो अलग-अलग सेवाओं के लिए है - एक सिविल सेवा और एक जो सभी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को शामिल करता है। तर्क यह है कि कार्यात्मक रूप से विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से विभागों का अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए उन्हें विलय करने से नौकरशाही समाप्त नहीं होगी।

हालाँकि, सरकार ने सभी मौजूदा अधिकारियों को रिकॉर्ड आश्वासन दिया है कि किसी की वरिष्ठता में बाधा नहीं आएगी और पदोन्नति की संभावनाओं की रक्षा की जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि "हमने कुछ योजना के बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा और सबकुछ तय समय में स्पष्ट हो जाएगा।"

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में हुए "रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन" के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संशोधित रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है।
2. रेलवे में "ए" समूह की आठ सेवाओं का भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में एकीकरण किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of recent reorganization of the Frailway Board.

1. The number of members of the revised Railway Board has been increased.
2. The eight services of the Group 'A' in Railways have been integrated into the Indian Railway Management Service.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 2 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारतीय रेलवे में हाल ही में किए गए बदलाव किस प्रकार से रेलवे में प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधारों को एक साथ संबोधित करते हैं? चर्चा करें तथा साथ ही इन बदलावों के नकारात्मक पक्ष को भी दर्शाएं।

(250 शब्द)

How have the recent changes in Indian Railways addressed administrative and institutional reforms in the railways together? Discuss and also mention the negative effects of these changes.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।